निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–69/21
दायरा दिनांक :–14.09.21
निर्णय दिनांक :– 29.11.22

उनवान

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटडी तुलसां तहसील बारां

–वादीगण

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र जाति राजपूत निवासी कोटडी तुलसा तहसील बारां
2. लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र जाति राजपूत निवासी कोटडी तुलसा तहसील बारां
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी तुलसा तहसील बारां
4. फूली बाई पत्नी श्री दिलीप सिंह जाति मीणा निवासी कोटडी तुलसा तहसील बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 29.11.22

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी एड0– वादी

2. श्री अरविन्द सिंह हाडा एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 251(क) आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वर्तमान खाता सं0 90 पुराना 99 की खसरा नं0 57 रकबा 2.37 हे0, खसरा नं0 58 रकबा 0.04 हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 2.41 हे0 वाके ग्राम कोटडी तुलसां तहसील बारां जिला बारां राज0 में स्थित है। जो वादी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2072 से 2075 में अंकित है जिस पर वादी ही निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र की मद नं0 में अंकित वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर आने जाने का रास्ता प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 1244/90 रकबा 2.58 हे0, खसरा नं0 1245/90 रकबा 2.58 हे0, खसरा नं0 59 रकबा 0.19 हे0 एवं प्रतिवादी कमांक 4 के खातेदारी की आराजीयात खसरा नं0 61 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं 62 रकबा 1.57 हे0 के मध्य होकर 20 फुट चौड़ा रास्ता था जो वाद प0 की मद नं0 1 में

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अंकित वादी के खातेदारी की आराजियात तक पहुंचता था। तथा वादी अपने खातेदारी की आराजियात को उसी विवादित 20 फुट चौडे रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। जो वादी के पूर्वजों के समय ये चला आ रहा है। जिसका वादी के पूर्वज उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे थे। तथा वर्तमान में वादी उक्त 20 फुट चौडे रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। तथा इसी रास्ते से वादी अपने काश्तकारी के साधन ट्रेक्टर, थ्रेसर, बक्खर, शिडिल, ट्रोली लाता ले जाता था। वादी के खेत पर जाने वाले 20 फुट चौडे रास्ते को प्रतिवादीगण कमांक 1 व 4 ने को हांक कर अपनी आराजियात में मिलाकर वादी के खेत के रास्ते को अवरूद्ध कर बन्द कर दिया है। तथा वादी द्वारा रास्ते को हांकने से मना किया प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये है। तथा वादी को धमकी दी कि अगर इस जगह रास्ते से ट्रेक्टर, थ्रेसर, बक्खर, शिडिल, ट्रोली आदि निकाले तुम्हे जान से खत्म कर देंगे तथा प्रतिवादीगण कमांक 1 ता 4 ने जबरन ताकत के बल पर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया गया है, जिसका प्रतिवादीगण कमांक 1 ता 4 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। रास्ता खुलासा ना होने से वादी के अपने खातेदारी में दर्ज भूमि को काश्त नहीं कर पा रहा है। जिससे वादी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है तथा वादी को कई परेशानी का सामना करना पडेगा। इसलिये न्यायहित में प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 1244/90 रकबा 2.58 हे0, खसरा नं0 1245/90 रकबा 2.58 हे0, खसरा नं0 59 रकबा 0.19 हे0 एवं प्रतिवादी कमाकं 4 के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 61 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 62 रकबा 1.57 हे0, के मध्य के 20 फुट चौडे रास्ते को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता का इन्द्राज करवाया जाना आवश्यक है। जिससे भविष्य में वादी को अपने खेत तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रविादीगण कमांक 1 ता 4 को पाबन्द करवाया जावे कि वह भविष्य में उक्त रास्ते को किसी प्रकार से अवरूद्ध ना करें। यदि उक्त रास्ते 20 फुट चौडा रास्ता प्रतिवादीगण के खातेदारी की जमीन में है। तो वादी डी0एल0सी0 दर से रास्ते की भूमि की कीमत देने या रास्ते की भूमि के बराबर अपने खातेदारी की आराजियात में प्रतिवादीगण को जमीन देकर उनके खातेदारी में दर्ज करवाने को तैयार है। दिनांक 07.09.2021 को वादी वाद पत्र में अंकित अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर फसल में दवाई छिडकने ट्रेक्टर लेकर गया तो प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 ने वादी से उक्त विवादित रास्ते से ट्रेक्टर निकालने से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर ट्रेक्टर निकाला तो जान से खत्म कर देंगे तथा कहा कि यह रास्ता हमने हमेशा के लिए बन्द कर दिया। इस कारण फसल में दवाई खरपतवार नहीं छिडकने से वादी की फसल नष्ट होने की पूर्ण संभावना हो चुकी है।

प्रार्थी का पर्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी तुलसां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 90, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कोटडी तुलसां, नकल जमाबंदी ग्राम कोटडी तुलसां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 136, नकल

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी ग्राम कोटडी तुलसां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 310, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं0 312, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं0 110, पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी तुलसां में स्थित है। जिस पर वादी निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी पर आने जाने का रास्ता प्रतिवादी के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1244/90 रकबा 2.58 हे0, खसरा नं0 1245/90 रकबा 2.58 हे0 खसरा नं0 59 रकबा 0.19 हे0, खसरा नं0 61 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 62 रकबा 1.57 हे0 के मध्य होकर 20 फुट चौडा रास्ता था जो वादी के खातेदारी की आराजी तक पहुंचता था तथा वादी अपनी खातेदारी की आराजी को उसी विवादित 20 फुट चौडे रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। जो वादी के पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। उक्त रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा हांक जोत कर अपनी भूमि में मिला लिया है। तथा रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। वादी उक्त रास्ते से आता जाता है तो प्रतिवादीगण गाली गलोच व लडाई झगडे पर आमादा होते है। प्रार्थी के उक्त रास्ते को खुलासा करवाया जावे ताकि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा बताया कि प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाब पेश किया है। वादी का वाद स्वीकार करने में हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी तुलसां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 90 वादी के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी तुलसां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 136 भवंरसिंह पुत्र बजरंगसिंह के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी तुलसां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 310 सुरेन्द्रसिंह पुत्र बजरंगसिंह के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी तुलसां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 312 में कुलदिपसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिहं के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी तुलसां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 110 फूलीबाई पत्नी दिलीपसिंह मीना के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है। कि उक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में है। जो सभी भूमियां एक दूसरे के पास पास है। वादी प्रतिवादीगण की भूमियों से रास्ता लेना चाहता है। इस सम्बंध में तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वादी पुष्पेन्द्रसिंह द्वारा ग्राम कोटडी तुलसां के खसरा नं0 57 व 58 पर पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है। मौके पर वर्तमान में ग्राम कोटडी तुलसां पक्की सडक से खसरा नं0 88 व 93 के मध्य से मौके पर खसरा नं0 62 की दक्षिण मेड तक रास्ता बना हुआ है। तथा उसके बाद रास्ता अवरूद्ध है पूर्व में प्रार्थी अपने खेत पर पहुंचने के लिए खसरा नं0 60

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

व 59 के मध्य होकर निकलता था जो अपने खातेदारी के खसरा नं0 58 में से पहुंच कर खसरा नं0 1251/57 तक पहुंचना बताया। खसरा नं0 60 रकबा 0.09 हे0 ज्ञानचन्द, दिलीप,

बलराम, पुत्र नाथूलाल हिस्सा 6/7, कमलेश, हरिओम पुत्र खेमराज हिस्सा 1/7 जाति मीना सा0 देह की खातेदारी में दर्ज है। तथा खसरा नं0 59 रकबा 0.19 हे0 सुरेन्द्रसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपूत सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। खसरा नं0 58 रकबा 0.04 हे0 पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत सा0 देह के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी स्वयं अपने रास्ते पर जाने के लिए 20 फुट भी चौडाई का रास्त चाहा रहा है। खसरा नं0 89 पर मौके पर रास्ता बना हुआ है। जिसका खातेदार भंवरसिंह पुत्र हरिराम जाति मीना सा0 देह है। इससे यह साबित होता है। कि खसरा नं0 89 तक रास्ता बना हुआ है परन्तु खसरा नं0 60, 59 में होकर रास्ता खुलासा करवाना चाहते है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी को रास्ते के बदले उतनी जमीन व डी0एल0सी0 की दर से पैसे दे दिया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाब पेश कर रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया ताना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी तुलसां तहसील बारां की आराजी खसरा नं0 57 व 58 तक जाने का रास्ता खसरा नं0 1244/90, 1245/90, 59, 61, 62 की मेड से 20 फुट रास्ता दिया जाता है। वादी उक्त रास्ते के बदले वर्तमान डी0एल0सी0 दर का दोगुना राशि तहसील कार्यालय में जमा करावें। तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। कि खसरा नं0 1244/90, 1245/90, 59, 61, 62 के खातेदारों को भुगतान करने के बाद राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner